कम्प्यूटर परिपत्र सं - 1617035 दिनांक 26-09-2016

पत्र संख्या–न्याय–2–वापसी / 2016–17 / / 629 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0,
(न्याय अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक ::26 सितम्बर, 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर(क0नि0)वा0क0,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या–न्याय–2–वापसी / 2015–16 / 1493 दिनांक 15.03.2016 (कम्प्यूटर परिपत्र सं0–1516076) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर संख्या–1 में निम्नवत् निर्देश दिए गये थे:–

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि इनपुट टैक्स केडिट एवं टी0डी0एस0 से सम्बन्धित रिफण्ड योग्य धनराशि का रिफण्ड किये जाने के पूर्व सम्बन्धित अधिकारी के स्तर से उनके जमा का सम्यक् सत्यापन नहीं किया जा रहा है। निर्धारित रीति से सत्यापन के पूर्व धनराशि रिफण्ड किये जाने की दशा में राजस्व क्षति की प्रबल सम्भावना रहती है।

प्रश्नगत परिपत्र का आशय यह था कि जिन मामलों में इनपुट टैक्स केडिट से सम्बन्धित धनराशि का आन लाइन रिफण्ड दिया जा रहा है उससे सम्बन्धित खरीद का सत्यापन विक्रेता व्यापारी के कर निर्धारण अधिकारी से किए जाने के उपरान्त ही रिफण्ड की कार्यवाही की जाय । यह कार्यवाही रिफण्ड की निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत ही पूर्ण की जानी है तथा मात्र सत्यापन न होने के आधार पर अधिनियम द्वारा निर्धारित समयावधि में रिफण्ड न दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

विभिन्न निर्यातक संगठनों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि उक्त परिपत्र के आधार पर सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में रिफण्ड की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जो कदाचित उचित नहीं है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि निर्यातकों के मामले में इनपुट टैक्स केडिट से सम्बन्धित धनराशि का रिफण्ड करने से पूर्व इनपुट टैक्स केडिट से सम्बन्धित खरीद का सत्यापन विक्रेता व्यापारी के अभिलेखों से अवश्य ही कर लिया जाय ।

जिन मामलों में विक्रेता व्यापारी द्वारा आनलाइन रिर्टन दाखिल किए गये है, उनमें खरीद का सत्यापन रिफण्डकर्ता अधिकारी द्वारा स्वयं करते हुए इस तथ्य का उल्लेख पत्रावली पर किया जाय एवं जिन मामलों में विक्रेता व्यापारी द्वारा आनलाइन रिर्टन नहीं दाखिल नहीं किया गया है उनमें प्रार्थना–पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत विक्रेता व्यापारी के कर निर्धारण अधिकारी के माध्यम से सत्यापन के उपरान्त रिफण्ड की कार्यवाही पूर्ण की जाय ।

सामान्य व्यापारियों के द्वारा भी जिन मामलों में रिफण्ड के दावे प्रस्तुत किए जाते है उनमें इनपुट टैक्स केडिट से सम्बन्धित खरीद का सत्यापन उपरोक्त प्रकिया के अनुसार कराते हुए निर्धारित समयावधि में रिफण्ड की कार्यवाही पूर्ण की जाय।

परिपत्र संख्या–न्याय–2–वापसी / 2015–16 / 1493 दिनांक 15.03.2016 (कम्प्यूटर परिपत्र सं0–1516076) में दिए गये निर्देश उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष निर्देश यथावत लागू रहेगें ।

26/09/16
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

शेष पृष्ठ –2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0 / अपील) वाणिज्य कर।
2. समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / कारपोरेट)वाणिज्य कर।
3. समस्त अनुभाग प्रभारी, मुख्यालय।
4. मैनुअल अनुभाग, मुख्यालय।
5. समस्त डिप्टी कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / सचलदल)वाणिज्य कर।
6. समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / सचलदल)वाणिज्य कर।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।